सिविल विविध

बल राज तुली न्यायमूर्ति के समक्ष ।

बाटा शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, - याचिकाकर्ता।

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य प्रशासक और अन्य, - उत्तरदाता

1970 की सिविल रिट संख्या 1101

18 दिसंबर, 1970

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम (1952 का XXVII) - धारा 2 (ए) - चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश (1954) - खंड 4 और 30 - एक व्यवसाय-घर पर नेमप्लेट लगाना - क्या विज्ञापन के बराबर है - रोशन और गैर-रोशन नेम-प्लेट - के बीच अंतर - क्या कोई तर्कसंगत आधार है - रोशन नाम-प्लेटों के लिए लिया जाने वाला शुल्क - क्या क्विड प्रो क्वो की कमी के कारण अमान्य है।.

माना जाता है कि नेमप्लेट लगाना विज्ञापन के बराबर है क्योंकि यह इच्छुक ग्राहकों को व्यापार-घर के व्यवसाय के स्थान की घोषणा करता है। नेमप्लेट उन ग्राहकों के मार्गदर्शन या दिशा के लिए प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है जो किसी विशेष व्यावसायिक घराने से सामान खरीदना चाहते हैं। यह पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 2 (ए) में दी गई "विज्ञापन" की परिभाषा के साथ-साथ शब्द के शब्दकोश अर्थ द्वारा कवर किया गया है। (पैरा 6)।

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 12 के तहत प्रख्यापित चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश (1954) के खंड 4 और 30 के तहत, एक नेम-प्लेट, जो एक रोशन नहीं है, को आदेश के प्रावधानों से छूट दी गई है, अर्थात, न तो किसी अनुमति की आवश्यकता है और न ही इसके संबंध में कोई शुल्क देय है, जबकि एक रोशन नेम-प्लेट की आसानी में, अनुमति की आवश्यकता है और साथ ही शुल्क का भुगतान करना होगा। नेमप्लेट को रोशन और गैर-रोशन लोगों में वर्गीकृत करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। दोनों प्रकार की नेमप्लेट का उद्देश्य जनता को अपनी नेमप्लेट का प्रदर्शन करने वाले किसी विशेष व्यावसायिक घराने के व्यवसाय के स्थान की घोषणा करना है। गैर-रोशन नेम प्लेट दिन के दौरान उस उद्देश्य को पूरा करती है जब प्राकृतिक प्रकाश होता है और रोशन नेमप्लेट उस अवधि के दौरान उसी उद्देश्य को पूरा करती है जब कोई दिन-प्रकाश नहीं होता है और विद्युत प्रकाश या किसी अन्य कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करना पड़ता है। केवल विद्युत या कृत्रिम प्रकाश का उपयोग, दो नेमप्लेटों को दो अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए आधार प्रदान नहीं

कर सकता है, एक अनुमति और शुल्क के लिए उत्तरदायी है जबकि दूसरा नहीं है। दोनों प्रकार की नेमप्लेट विज्ञापन के समान हैं और या तो दोनों को आदेश के प्रावधानों से छूट दी जानी चाहिए या कोई नहीं। चूंकि गैर-रोशन नेमप्लेट को आदेश के प्रावधानों से छूट दी गई है, इसलिए रोशन नेमप्लेट को भी छूट के रूप में माना जाना है। न तो मुख्य प्रशासक की अनुमति आवश्यक है, न ही रोशन नेम-प्लेट प्रदर्शित करने के लिए कोई शुल्क देय है। (पैरा 7)।

यह माना जाता है कि किसी व्यवसाय-घर की नेमप्लेट दुकान के बाहर, उसके लिए निर्दिष्ट स्थान पर प्रदर्शित की जाती है और रात में इसे रोशन करने मात्र से विज्ञापन विभाग पर व्यापार-घर को कोई सेवा प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं पड़ता है, न ही ऐसा करने का कोई अवसर है। केवल इसलिए कि विज्ञापनों के प्रयोजनार्थ एक अलग विभाग रखा जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके द्वारा प्रकाशित नेमप्लेट के संबंध में व्यवसाय-घरानों को कोई सेवा प्रदान की जाती है। इसलिए रोशन नेमप्लेट के संबंध में लिया जाने वाला शुल्क अमान्य है क्योंकि इसमें क्विड प्रो क्वो की कमी है।. (Para 8).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि सर्टिओरारी, मंडामस या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रकृति में एक रिट; अधिनियम की धारा 12 और खंड 4 और 30 और आदेश की अनुसूची को अवैध घोषित करते हुए आदेश या निर्देश जारी किया जाए और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता और इसकी विभिन्न दुकानों से विज्ञापन कर या शुल्क न वसूलने का निर्देश दिया जाए और इसके अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा जारी 10 जून 1969 और 6 नवंबर 1969 के पत्रों और 14 जनवरी 1970, 7 जनवरी 1970 और 14 जनवरी 1970 के समन को रद्द किया जाये।

एच एल सिब्बल, ए एन पारीख और एच आर अग्रवाल याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील

आनंद स्वरूप, आई.एस. बलहारा, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

बी आर तुली न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता बाटा शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निजी कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में है। यह पश्चिम बंगाल के बाटानगर, फरीदाबाद (हरियाणा) और बिहार के पटना और मोकमघाट में अपने कारखानों में जूते और सहायक उपकरण बनाती है। पूरे भारत में इसकी अपनी खुदरा दुकानें हैं जहां यह अपने उत्पादों को बेचता है। हर दुकान के बाहर नेम प्लेट 'बाटा' प्रदर्शित की जाती है। 'बाटा' नाम याचिकाकर्ता-कंपनी का पंजीकृत व्यापार नाम है।

2. भारत के राष्ट्रपति ने पंजाब राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1951 की व्यापारी धारा 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) अधिनियमित किया, जिसमें चंडीगढ़ में पंजाब की राजधानी के विकास और विनियमन के लिए प्रावधान किए गए थे। अधिनियम की धारा 12 निम्नलिखित शब्दों में है :-

"12 विज्ञापनों का नियंत्रण - यदि मुख्य प्रशासक को यह प्रतीत होता है कि चंडीगढ़ में विज्ञापनों के प्रदर्शन को विनियमित करने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विज्ञापनों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए एक आदेश (इसके बाद विज्ञापन नियंत्रण आदेश के रूप में संदर्भित) कर सकता है और ऐसा आदेश आयामों, को विनियमित करने के लिए प्रदान कर सकता है-

(a) आयामों को विनियमित करने के लिए, प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापनों की उपस्थिति और स्थिति, वे स्थल जिन पर ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं और जिस तरीके से उन्हें भूमि या भवन से चिपकाया जाना है।

(b) विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए मुख्य प्रशासक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(c) मुख्य प्रशासक को आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को हटाने या आदेश के उल्लंघन में उपयोग किए जा रहे किसी भी साइट के विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए उपयोग

(d) आदेश में निर्दिष्ट स्थानों पर विज्ञापनों के लिए शुल्क लिया जाएगा।

3. इस प्रावधान के तहत मुख्य प्रशासक ने चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश, 1954 को प्रख्यापित किया, जिसका खंड (4) निम्नानुसार है:

4 विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण-

1. कोई भी व्यक्ति, मुख्य प्रशासक की लिखित अनुमति के बिना, किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग या संरचना पर कोई विज्ञापन खड़ा नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा, तय नहीं करेगा या बनाए रखेगा, चाहे वह अब मौजूद हो या नहीं;
   परन्तु ऐसे किसी विज्ञापन के संबंध में ऐसी अनुमति आवश्यक नहीं होगी जो प्रकाशित विज्ञापन न तो कोई प्रकाशमान है और न ही आकाश-चिन्ह है और जो-

a. किसी भी वाणिज्यिक इमारत के शो-केस के भीतर प्रदर्शित किया जाता है;
b. भवन के भीतर किए गए व्यापार या व्यवसाय से संबंधित है जिस पर इस तरह के विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं, बशर्ते कि यह भवन के उस हिस्से पर प्रदर्शित किया

गया हो जो विशेष रूप से मुख्य प्रशासक द्वारा स्वीकृत भवन योजना में इस उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है;

c. किसी भी भूमि या भवन की बिक्री या पट्टे से संबंधित है जिस पर इस तरह के विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं; या किसी भी मनोरंजन या बैठक को आयोजित करने के लिए या उसी में; या किसी ट्रामकार, ओमनीबस या अन्य वाहनों के मालिक द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय के लिए, जिस पर इस तरह के विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं ;

d. एक संलग्न भूमि या एक इमारत पर प्रदर्शित किया जाता है जो भूमि या भवन के बाहर से दिखाई नहीं देता है।

e. एक नेम प्लेट है।

f. किसी भी रेलवे कंपनी के व्यवसाय से संबंधित है।

g. किसी भी रेलवे स्टेशन के भीतर या किसी भी दीवार या रेलवे कंपनी की अन्य संपत्ति पर ऐसी दीवार या संपत्ति के सामने की सड़क की सतह के किसी भी हिस्से को छोड़कर प्रदर्शित किया जाता है; और

h. पंजाब राज्य सरकार के बिजली, भवन, सड़क, सड़क परिवहन, सीवेज और जल आपूर्ति विभागों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यदि ऐसा विज्ञापन ऐसे विभागों के संबंधित कार्यों से संबंधित है।

2. यदि इस आदेश के उपबंधों के विपरीत कोई विज्ञापन खड़ा किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, नियत किया जाता है या बनाए रखा जाता है, या किसी अवधि के लिए इसके निर्माण, प्रदर्शनी, निर्धारण या प्रतिधारण के लिए लिखित अनुमति के बाद समाप्त हो गया है या शून्य हो जाएगा, मुख्य प्रशासक लिखित रूप में नोटिस द्वारा उस भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग या संरचना, जिस पर उसका निर्माण, प्रदर्शन, नियत या अनुरक्षित किया गया है, के स्वामी या कब्जेदार से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे विज्ञापन को उसके द्वारा निर्धारित 30 दिनों से की अवधि के भीतर हटा या संशोधित करे।

3. जहां इस खंड के लागू होने के बाद किसी भी भूमि, भवन, दीवार, जमाखोरी या संरचना पर कोई विज्ञापन लगाया जाएगा, तय किया जाएगा या बनाए रखा जाएगा, सिवाय इसके कि अनुमति दी गई है या छूट दी गई है ऐसी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग या संरचना के

कब्जे वाले मालिक या व्यक्ति को वह व्यक्ति माना जाएगा, जिसने इस खंड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ऐसे विज्ञापन का निर्माण, प्रदर्शन, निर्धारण या रखरखाव किया है, जब तक कि वह यह साबित नहीं करता है कि ऐसा उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा उसके रोजगार या उसके नियंत्रण में नहीं किया गया था या उसकी मिलीभगत के बिना किया गया था।

4. उक्त आदेश के खंड 30 में अनुसूची की अनुसूची में दिए गए अनुसार विज्ञापनों के लिए देय शुल्क निर्धारित किया गया है, अनुसूची के आइटम 7 में निश्चित प्रकाशित विज्ञापन के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता-कंपनी को चंडीगढ़ प्रशासन को प्रति वर्ष प्रति नेम प्लेट 30 रुपये का भुगतान करना था। याचिकाकर्ता कंपनी की चंडीगढ़ में तीन दुकानें हैं, जो सेक्टर 17, 19 और 22 में स्थित हैं और उन तीन दुकानों के लिए प्रति वर्ष 90 रुपये की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता-कंपनी ने सेक्टर 17 में दुकान के संबंध में 30 जून, 1969 तक, सेक्टर 19 में दुकान के लिए 25 सितंबर, 1969 तक और सेक्टर 22 में दुकान के लिए 17 जुलाई, 1969 तक की फीस का भुगतान किया, इन नेम प्लेटों को प्रदर्शित करने के लिए याचिकाकर्ता-कंपनी को लाइसेंस लेने और हर साल इसका नवीनीकरण कराने के लिए कहा गया। जब उसने इस आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया कि कोई शुल्क नहीं लगाया गया था, तो एस्टेट अधिकारी ने याचिकाकर्ता-कंपनी की तीन दुकानों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ की अदालत में तीन अलग-अलग चालान दायर किए, जिसके कारण वर्तमान याचिका दायर की गई, जिसमें यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा अपनी नेम प्लेट के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं है, हालांकि वे रोशन हैं।

5. प्रतिवादियों की ओर से सहायक संपदा अधिकारी द्वारा दायर लिखित बयान में, यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा 30 रुपये प्रति नेम प्लेट का शुल्क देय है और इसका भुगतान न करने के लिए उस पर सही मुकदमा चलाया गया था। इस बीच, अभियोजन के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा चालान को खारिज कर दिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि इस मामले पर फैसला किया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून का शुद्ध प्रश्न है, ताकि प्रतिवादियों के हाथों याचिकाकर्ता-कंपनी के और उत्पीड़न से बचा जा सके। इसलिए, मैं गुण-दोष के आधार पर विवाद का निर्णय करना जारी रखता हूं।

6. अधिनियम की धारा 2 खंड (क) में विज्ञापन को निम्नानुसार परिभाषित करती है:-

'विज्ञापन' का अर्थ किसी भी शब्द, पत्र, मॉडल, हस्ताक्षर, प्लेकार्ड, बोर्ड, नोटिस, डिवाइस या किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व है, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, विज्ञापन, घोषणा या दिशा के उद्देश्य से है, और इसमें विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए उपयोग या अनुकूलित कोई भी संरचना शामिल है।

निर्धारण के लिए पहला सवाल यह है कि क्या नेम प्लेट लगाना विज्ञापन के बराबर है, मेरी राय में ऐसा होता है, क्योंकि यह इच्छुक ग्राहकों को व्यापार-घर के व्यवसाय के स्थान की घोषणा करता है। नेम प्लेट को ग्राहकों के मार्गदर्शन या दिशा के लिए प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है, जो किसी विशेष व्यावसायिक घराने से सामान खरीदना चाहते हैं। यह अधिनियम में "विज्ञापन" की परिभाषा के साथ-साथ शब्द के शब्दकोश अर्थ द्वारा कवर किया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता-कंपनी के लिए यह आग्रह करना व्यर्थ है कि नेम प्लेट विज्ञापन के बराबर नहीं है।

7. विचार के लिए उठने वाला अगला प्रश्न यह है कि क्या नेमप्लेट का प्रकाशमान और गैर-रोशन में कोई उचित वर्गीकरण है। विज्ञापन नियंत्रण आदेश के तहत एक नेम प्लेट, जो एक रोशन नहीं है, को पुराने के प्रावधानों से छूट दी गई है, अर्थात, न तो किसी अनुमति की आवश्यकता है और न ही उसके संबंध में कोई शुल्क देय है, जबकि रोशन नेम प्लेट के मामले में, अनुमति की आवश्यकता होती है और साथ ही शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। मेरी राय में, नेमप्लेट के संबंध में इस वर्गीकरण के लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। दोनों प्रकार की नेम प्लेटों का उद्देश्य, रोशन और गैर-रोशन, जनता को अपनी नेमप्लेट प्रदर्शित करने वाले किसी विशेष व्यावसायिक घराने के व्यवसाय के स्थान की घोषणा करना है।. गैर-रोशन नेमप्लेट दिन के दौरान उस उद्देश्य को पूरा करती है जब प्राकृतिक प्रकाश होता है और रोशन नेम प्लेट उस अवधि के दौरान उसी उद्देश्य को पूरा करती है जब कोई दिन-प्रकाश और विद्युत प्रकाश नहीं होता है, या किसी अन्य कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करना पड़ता है। केवल विद्युत या कृत्रिम प्रकाश का उपयोग दो नाम प्लेटों को दो अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए आधार प्रदान नहीं कर सकता है, एक अनुमति और शुल्क के लिए उत्तरदायी है जबकि दूसरा नहीं है। दोनों प्रकार की नेम प्लेट विज्ञापन के बराबर हैं और या तो दोनों को आदेश के प्रावधानों से छूट दी जानी है या कोई नहीं। चूंकि गैर-रोशन नेम प्लेट को आदेश के प्रावधानों से छूट दी गई है, इसलिए रोशन नेम प्लेट को भी छूट के रूप में माना जाना चाहिए। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, न तो मुख्य प्रशासक की अनुमति आवश्यक है, न ही रोशन नेम प्लेटों को प्रदर्शित करने के लिए कोई शुल्क देय है। इसलिए, याचिकाकर्ता-कंपनी का यह कहना सही है कि वह किसी भी शुल्क का भुगतान

करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और न ही विज्ञापन नियंत्रण आदेश, 1954 के तहत मुख्य प्रशासक की अनुमति लेने के लिए बाध्य है।

8. याचिकाकर्ता-कंपनी के वकील ने आखिरकार तर्क दिया है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता-कंपनी से कोई शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं क्योंकि इसमें कोई क्विड प्रो क्वो नहीं है क्योंकि रोशन नेम प्लेट के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता-कंपनी को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है। नेम प्लेट एक है जो दिन के सभी 24 घंटों के लिए परिसर में रहती है। केवल शाम को, यह बिजली से रोशन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्तेमाल किया गया पदार्थ नियॉन लाइट्स है, लेकिन उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता-कंपनी की नेम प्लेट की इस प्रदर्शनी के संबंध में कुछ भी नहीं करना है। याचिका में इस आरोप के जवाब में, प्रतिवादियों ने कहा है कि क्विड प्रो क्वो है क्योंकि एक अलग विभाग की स्थापना की गई है जिसे एक उप-निरीक्षक और एक चपरासी द्वारा संचालित किया जाता है, जिसकी परिलब्धियां 3,000 रुपये से अधिक होती हैं, जो राशि विज्ञापनों के लिए शुल्क के रूप में एकत्र की जाती है। यह सब-इंस्पेक्टर निवासियों और व्यापारिक घरानों को सलाह देता है कि वे अपने नाम और सामान का विज्ञापन कैसे करें और विज्ञापन नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाएं। केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं ने इस उद्देश्य के लिए एक अलग विभाग बनाए रखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके द्वारा याचिकाकर्ता-कंपनी या अन्य समान व्यावसायिक घरानों को कोई सेवा प्रदान की जाती है। नेम प्लेट दुकान के बाहर इसके लिए निर्दिष्ट स्थान पर प्रदर्शित की जाती है और रात में केवल इसे रोशन करने से विज्ञापन विभाग पर याचिकाकर्ता-कंपनी को कोई सेवा प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं बनता है और न ही ऐसा करने का कोई अवसर है। इसलिए, मेरी राय है कि विद्वान वकील की इस दलील में दम है और क्विड प्रो क्वो की कमी के कारण शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

9. ऊपर दिए गए कारणों के लिए, इस याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाता है, और यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता-कंपनी किसी भी शुल्क का भुगतान करने या अपनी दुकानों के बाहर अपनी नेम प्लेट की प्रदर्शनी के लिए कोई अनुमति लेने के लिए उत्तरदायी नहीं है, भले ही वे रोशन हों। प्रतिवादियों को आवश्यक रिट जारी की जाती है जिसमें उन्हें चंडीगढ़ में अपनी दुकानों के बाहर प्रदर्शित नेम प्लेट के संबंध में याचिकाकर्ता-कंपनी से कोई शुल्क नहीं वसूलने का आदेश दिया जाता है। वकील की फीस 300 रुपये।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी